रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032021-225569
CG-DL-E-01032021-225569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 1, 2021/फाल्गुन 10, 1942
No. 102]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 1, 2021/PHALGUNA 10, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च , 2021

सा.का.नि. 143(अ).—कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 432(अ) तारीख 7 जुलाई, 2020 में संहिता की धारा 67 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों, जिनसे उससे प्रभावित होने की संभावना है, से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व प्रकाशित किया गया था;

और उक्त प्रारूप में निम्नलिखित से संबंधित प्रस्तावित नियम अंतर्विष्ट है –

(i) धारा 42 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (10) और उपधारा (11) (जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से हैं);

(ii) धारा 67 की उपधारा (2) के खंड (ध) और खंड (न) (जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से हैं);

(iii) धारा 69 [जहां तक उनका संबंध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 7 और धारा 9 (जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से हैं) तथा धारा 8];

और, जबकि प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से उक्त 45 दिन की अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:, केंद्रीय सरकार, श्रम संहिता की धारा 67 की उपधारा (2) के खंड (ध) और खंड (न) (जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से हैं) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2011 तथा न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) नियम, 1950 को, जहां तक वह धारा 7 और धारा 9 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 8 से संबंधित हैं, का सिवाय ऐसी चीजों को, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व लोप किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संहिता (केंद्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बोर्ड" से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग)"संहिता" से मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ)"धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(च) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका संहिता में है।

अध्याय 2

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

क. धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया

3. बोर्ड का गठन—(1) बोर्ड धारा 42 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट नियोक्ताओं और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों से और उस उपधारा के खंड (ग) और खंड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगा।

(2) धारा 42 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति 12 होंगे और उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भी 12 होंगे।

(3) धारा 42 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों को केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह निम्नलिखित में से होंगे, अर्थात् :--

(i) अध्यक्ष – राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ;

(ii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार;

(iii) दो संसद् सदस्य;

(iv) चार सदस्य, जिनमें से प्रत्येक मजदूरी और श्रम से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में पेशेवर होगा;

(v) एक सदस्य, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो; और

(vi) दो सदस्य, जिनमें से प्रत्येक धारा 42 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट ऐसे राज्य सलाहकार बोर्ड का यथासंभव सदस्य होगा, जिसे चक्रानुक्रम में राज्यों से लिया जाएगा।

(4) धारा 42 के खंड (घ) में निर्दिष्ट राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि, जिनमें से प्रत्येक ऐसे राज्यों के राज्य श्रम विभाग का प्रधान सचिव या सचिव या आयुक्त होगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार चक्रानुक्रम के आधार पर समय-समय पर अवधारित करे।

(5) श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम प्रभाग का भारसाधक संयुक्त सचिव बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा ।

(6) केंद्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेगी कि उपनियम (3) के अधीन स्वतंत्र सदस्य बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अनधिक होंगे और बोर्ड की एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी ।

4. बोर्ड के अतिरिक्त कृत्य—धारा 42 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त बोर्ड केंद्रीय सरकार के निर्देश पर उस सरकार को निम्नलिखित के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को नियम करने से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देगा—

(i) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित श्रमजीवी पत्रकार; और

(ii) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 (1976 का 11) की धारा 2 के खंड (घ) में यथापरिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी ।

5. बोर्ड की बैठक—अध्यक्ष नियम 32 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी समय, जब वह ठीक समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकेगा :

परंतु आधे से अधिक सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा पर अध्यक्ष ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा ।

6. बैठक की सूचना—अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा तथा पूर्वोक्त विशिष्टियों के साथ ऐसी बैठक में संचालित किए जाने वाले कारबार की सूची को अंतर्विष्ट करते हुए लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा और इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसी बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जाएगी :

परंतु आकस्मिक बैठक की दशा में प्रत्येक सदस्य को कम से कम सात दिन की सूचना दी जाएगी ।

7. अध्यक्ष के कृत्य—अध्यक्ष,--

(i) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु किसी बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर सदस्य स्वयं में से मतों के बहुमत द्वारा किसी सदस्य का चयन करेंगे, जो ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(ii) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में एजेंडा का विनिश्चय करेगा;

(iii) जहां बोर्ड की बैठक में किसी मुद्दे का विनिश्चय मतदान द्वारा किया जाना है, मतदान का संचालन करेगा और बैठक में गोपनीय मतों की गणना करेगा या गणना करवाना कारित करेगा ।

8. गणपूर्ति--किसी बैठक में किसी कारबार का तब तक संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम एक-तिहाई सदस्य और नियोजक तथा कर्मचारी, दोनों मे से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है :

परंतु यदि किसी बैठक में एक-तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हैं, अध्यक्ष मूल बैठक की तारीख से सात दिन से अन्यून के लिए बैठक को स्थगित कर सकेगा और तत्पश्चात् ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की किसी संख्या के होते हुए भी कारबार का निपटान करना विधिपूर्वक होगा :

परंतु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय और स्थान से सदस्यों को इलैक्ट्रानिकी रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से संसूचित किया जाएगा ।

9. बोर्ड के कारबार का निपटान—बोर्ड के सभी कारबार पर बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा और उसका विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा :

परंतु अध्यक्ष यदि उपयुक्त समझे तो यह निदेश दे सकेगा कि किसी मामले का विनिश्चय आवश्यक कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा और सदस्यों की लिखित राय प्राप्त करने के माध्यम से किया जाएगा :

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन किसी मामले का विनिश्चय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन न हो ।

10. मत देने की विधि—बोर्ड में साधारणतया मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा किंतु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मत देने के लिए कहता है या अध्यक्ष इस प्रकार का विनिश्चय करता है तो मतदान गोपनीय मतपत्र द्वारा किया जाएगा और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे ।

11. बैठक की कार्यवाही—(1) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिनमें अन्य बातों के साथ, उनमें उपस्थित सदस्यों के नाम को उपदर्शित करते हुए प्रत्येक सदस्य को और केंद्रीय सरकार को बैठक के तुरंत यथाशीघ्र पश्चात् और किसी भी दशा में अगली बैठक से सात दिन से पूर्व अग्रेषित किया जाएगा ।

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, जिन पर अगली बैठक में विचार करना आवश्यक हो, पूष्टि की जाएगी ।

12. साक्ष्यों को समन करना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना--(1) अध्यक्ष, यदि उसके कर्तव्यों के निर्वहन के प्रक्रम में अपेक्षा करे तो किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए समन कर सकेगा और किसी व्यक्ति से किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया जाता है और जो साक्षी के रूप में बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है, तत्समय प्रवृत्त स्केल के अनुसार उसके द्वारा उपगत व्ययों के लिए भत्ते का और साक्षियों को सिविल न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते का संदाय किए जाने का हकदार होगा ।

ख. धारा 42 की उपधारा (11) के अधीन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

13. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि--(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी शासकीय सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि सामान्यत: धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन की तारीख से प्रारंभ होकर दो वर्ष के लिए होगी :

परंतु ऐसा सदस्य दो वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के होते हुए भी तब तक पद पर रहेगा जब तक, यथास्थिति, उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति या नामनिर्देशन नहीं कर दिया जाता है।

(2) नियोक्ताओं या कर्मचारियों या बोर्ड के स्वतंत्र व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, जिसे आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित किया जाता है, उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसको नामनिर्दिष्ट किया जाता है, की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) बोर्ड का शासकीय सदस्य तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक उसे उसके स्थान पर नियुक्त शासकीय सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता है ।

(4) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ रहता है, तो केंद्रीय सरकार या निकाय, जिसने उसे नामनिर्दिष्ट किया है, उसके निमित्त लिखित हस्ताक्षरित और ऐसे सदस्य द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष को नामनिर्दिष्ट सूचना द्वारा उसके स्थान पर उस बैठक में भाग लेने के लिए उसके स्थानापन को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी । ऐसा स्थानापन्न सदस्य को उस सदस्य के ऐसी बैठक के संबंध में सभी अधिकार होंगे ।

(5) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे ।

14. यात्रा भत्ता--(1) बोर्ड के शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता उसे उसके द्वारा शासकीय कर्तव्यों के पालन में की गई यात्रा के लिए लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसको उसका वेतन संदाय करने वाले प्राधिकारी द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) नियम 3 के उपनियम (3)(iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का हकदार होगा, जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति और आयोगों में संसद् सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर अनुज्ञेय होंगे ।

(3) बोर्ड का गैर-शासकीय सदस्य उसके द्वारा बोर्ड के ऐसे सदस्य के रूप में की गई यात्राओं और निष्पादित कर्तव्यों के लिए यात्रा और ठहराव भत्ता ऐसी दरों पर और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों में विनिर्दिष्ट शर्तों और परिमाण तक आहरित करने का हकदार होगा ।

15. अधिकारी और कर्मचारिवृंद—केंद्रीय सरकार बोर्ड को उतने अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, जो बोर्ड के कार्यकरण के लिए वह उचित समझे ।

16. बोर्ड के सदस्यों की पुन: नामनिर्देशन के लिए पात्रता—बोर्ड का निवृत्त होने वाला सदस्य बोर्ड की सदस्य के लिए तीन से अनधिक पदावधियों के लिए पात्र होगा ।

17. बोर्ड के सदस्यों का त्याग-पत्र--(1) शासकीय सदस्य से भिन्न बोर्ड का सदस्य अध्यक्ष को लिखित सूचना द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकेगा ।

(2) त्याग-पत्र उसकी स्वीकृति की संसूचना से या त्याग-पत्र की तारीख से 30 दिन के अवसान पर, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रभावी होगा ।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की संभावना होती है तो केंद्रीय सरकार रिक्ति को भरने के लिए संहिता के उपबंधों के अनुसार कदम उठाएगी ।

18. सदस्यता का समाप्त होना—यदि बोर्ड का कोई सदस्य अध्यक्ष को पूर्व संसूचना के बिना तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

19. निरर्हता--(1) कोई व्यक्ति, बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए या सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा--

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया जाता है; या

(ii) वह अननुमोचित दिवालिया है; या

(iii) यदि उसे इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् किसी नैतिक अधमता को अंतर्वलित करने वाले अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ।

(2) यदि कोई प्रश्न उदभूत होता है कि उपनियम (1) के अधीन कोई निरर्हता उपगत कर ली गई है तो केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[फा. सं. एस-32022/1/2020-डब्ल्यूसी]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2021

G.S.R. 143(E).—Whereas the draft of certain rules which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 432(E), dated 07th July, 2020 as required by sub-section (1) of section 67 of the Code, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said draft contains the proposed rules relating to –

(i) sub-sections (1), (2), (3), (10) and (11) of section 42 (to the extent they relate to the Central Advisory Board);

(ii) clause (s) and (t) of sub-section (2) of section 67 (to the extent they relate to the Central Advisory Board);

(iii) section 69 [to the extent it relates to sections 7 and 9 (to the extent they relate to the Central Government) and section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948)];

And whereas, the objections and suggestions received from the persons likely to be affected, before the expiry of the said forty-five days have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (s) and (t) of sub-section (2) of section 67 (to the extent they relate to the Central Advisory Board) of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) and in supersession of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 2011, and the

provisions of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 in so far as they relate to sections 7 and 9 (to the extent they relate to the Central Government) and section 8 of Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement, - (1) These rules may be called the Code on Wages (Central Advisory Board) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Board" means the Central Advisory Board constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 42;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(c) "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019);

(d) "member" means a member of the Board;

(e) "section" means a section of the Code;

(f) Words and expressions used in these rules and not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Code.

CHAPTER-II

Central Advisory Board

A. Procedure of Central Advisory Board under sub-section (10) of section 42

3. Constitution of the Board. - (1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the Central Government representing employers and employees as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 42 and the independent persons and representatives of the State Governments as specified in clauses (c) and (d) of that sub-section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.

(3) The independent persons specified in clause (c) of sub-section (1) of section 42 to be nominated by the Central Government shall consist of the following, namely:-

(i) the Chairperson – Minister of State, Independent Charge, Ministry of Labour and Employment, Government of India;

(ii) Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment;

(iii) two Members of Parliament;

(iv) four members each of whom, shall be a professional in the field of wages and labour related issues;

(v) one member who is or has been a presiding officer of an Industrial Tribunal constituted by the Central Government under section 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947); and

(vi) two members, each of whom shall be the Chairperson of such State Advisory Board referred to in sub-section (4) of section 42, to the extent possible, to be taken in rotation from the States.

(4) five representatives of the State Governments referred to in clause (d) of section 42 shall each be the Principal Secretary or Secretary or Commissioner of the State Labour Department of such States as the Central Government may determine from time to time on rotation basis.

(5) Joint Secretary in-charge of the Wage Division, in the Ministry of Labour and Employment, Government of India shall be the Member Secretary to the Board.

(6) The Central Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (3) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one-third of the members of the Board shall be women.

4. Additional functions of the Board. - In addition to the functions specified in sub-section (3) of section 42, the Board on reference by the Central Government advise that Government on the issue relating to the fixation of minimum wages in respect of-

(i) working journalists as defined in clause (f) of section 2 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act,1955 (45 of 1955); and

(ii) sales promotion employees as defined in clause (d) of section 2 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (11 of 1976).

5. Meeting of the Board. - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 32, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

6. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, at least seven days notice may be given to every member.

7. Functions of Chairperson.– The Chairperson shall,-

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

8. Quorum. - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

9. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

10. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

11. Proceedings of the meetings.- (1) The proceedings of each meeting of the Board showing, *inter alia*, the names of the members present *thereat* shall be forwarded to each member and to the Central Government as soon as possible immediately after the meeting, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

12. Summoning of witnesses and production of documents. - (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses incurred by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a Civil Court.

B. Terms of office of members of the Board under sub-section (11) of section 42

13. Term of office of members of the Board.- (1) Subject to the provisions of these rules, the term of office of a member, other than an official member, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (1) of section 42:

Provided that such a member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated**,** as the case may be.

(2) A member representing employers or employees or independent persons of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by the other official members appointed in their place.

(4) If a member of the Board is unable to attend a meeting of the Board, the Central Government or the body which nominated him may, by notice in writing signed on its behalf and by such member and addressed to the Chairperson of the Board, nominate a substitute in his place to attend that meeting. Such a substitute member shall have all the rights of a member in respect of the meeting.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.

14. Travelling allowance.- (1) The travelling allowance of an official member of the Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) A member nominated under sub-rule (3)(iii) of rule 3 shall be entitled to such travelling and daily allowances as may be admissible to him as Member of Parliament appointed in Committees and Commissions set up by the Central Government.

(3) A non-official member of the Board shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties as such member of the Board at the rates and subject to the conditions specified in the extant instructions of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

15. Officers and Staff.- The Central Government may provide officers and staff to the Board, as it may think necessary for the functioning of the Board.

16. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.- An outgoing non-official member shall be eligible for re-nomination for the membership of the Board for not more than total three terms.

17. Resignation of members of the Board.- (1) A member of the Board, other than official members, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of thirty days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Central Government shall take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

18. Cessation of membership.- If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

19. Disqualification.- (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board–

(i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or

(ii) if he is an un-discharged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the Central Government thereon shall be final.

[F. No. S-32022/1/2020-WC]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.01 21:56:59 +05'30'